



वलिफुल डफिल्टर हेतु समाधान समझौता: RBI

प्रलिस के लयल:

[ःण वसूली नयायाधकलरण \(DRTs\)](#), [NPA](#), [नेशनल एसेट रकलसडरकशन लमलडड \(NARC\)](#), [भारतीय रज़लरव बैंक \(RBI\)](#), [भारत ःण समाधान कंणनी लमलडड](#), [SARFAESI अधनलयलम](#), [दवलाला और शोधन अकषमता संहतल \(IBC\)](#), [बैंकगल वनलयलमन अधनलयलम, 1949](#)

मेन्स के लयल:

NPA की चुनौतलयलँ, NPA संकल्प के प्रवधान

चरचा में कयलँ?

हाल ही में [भारतीय रज़लरव बैंक \(Reserve Bank of India- RBI\)](#) ने प्रस्ताव/सरकुलर पेश कयल है, जसलमें वलिफुल डफिल्टर/इरादतन चुककरतताओं और धोखाधडी में शामिल कंणनलयलँ को समाधान समझौता या तकनीकी राइट-ऑफ का वकल्लप चुनने की अनुमतल दी गई है ।

- यह सरकुलर ऐसे मामललँ से नपलटने में बैंकलँ और वतलत कंणनलयलँ हेतु दशल-नरलदेश प्रदान करता है ।

प्रमुख बडु

▪ सरकुलर :

◦ समाधान समझौता और तकनीकी राइट-ऑफ:

- देनदारलँ के खललाफ चल रही आपराधकल कारयवाही के बावजूद बैंक और वतलत कंणनलयलँ वलिफुल डफिल्टरस या धोखाधडी के रूप में वर्गीकृत खारलँ हेतु समाधान समझौता या तकनीकी राइट-ऑफ कर सकतल हैं ।
- RBI का सरकुलर यह सुनशलचतल करते हुए इन नपलटान को सकषम बनाता है कल आपराधकल कारयवाही अप्रभावतल रहे ।

◦ नए ःणलँ हेतु कूलगल पीरयलड:

- बैंकलँ को उन उधारकरतताओं को नए ःण देने से पहले 12 महीने की नयूनतम कूलगल पीरयलड लागू करने की आवश्यकता होती है, जलनलँने समाधान समझौता कयल है ।
- कूलगल पीरयलड कषःण के अलावा अन्य जोखमलँ पर भी लागू होता है , वनलयलमतल संसुथालँ के पास उनके बोरड द्वारा अनुमोदतल नीतलयलँ के आधार पर दीर्घकालकल कूलगल पीरयलड नरलधारतल करने का अधिकार होता है ।

▪ चुनौतलयलँ:

◦ सार्वजनकल धन की संभावतल हानल:

- बैंकलँ ने पूर्व में समाधान समझौता को मंजूरी दे दी है, जसलके परणलमस्वरूप बकाया भुगतानलँ पर भारी कटौतल के कारण काफी नुकसान हुआ है ।
- हाललँकल समाधान समझौता की अनुमतल देने से बडे धोखेबाजलँ और बकाएदारलँ को बढावा मलल सकतल है ।
- समाधान समझौते की अनुमतल देने से NPA कृतरमल रूप से कम हो जाएगा, भले ही वतलतीय नीतलयलँ अस्थरल हलँ ।
- कुल सकल NPA में सार्वजनकल कषेतर के बैंकलँ का बडा हसलसा है । सार्वजनकल कषेतर के बैंकलँ का NPA कुल NPA का लगभग 72% हैं, बाकी नजल कषेतर के बैंकलँ, वदलशी बैंकलँ और छोटे वतलतीय संसुथानलँ का NPA है ।
 - PSB को सरकार द्वारा पुनरपूजलकृत कयल जाता है जसलसे जनता के पैसे का नुकसान होता है ।

◦ ःण वसूली नयायाधकलरण (DRT) के मुददे:

- ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ बैंकलँ ने [ःण वसूली नयायाधकलरण \(Debt Recovery Tribunals- DRT\)](#) को सूचतल कयल बनल समाधान समझौता कयल ।
- एरनाकुलम में DRT ने एक ऐसी सथतल देखल जसलमें एक समझौता कयल गया था, लेकनल बैंक सहमतल डलकलरी को सुरकषतल करने में वकलल रहा और काफी समय तक DRT से नपलटान को गुप्त रखा गया ।

- यह एसेट रकलसडरकशन कंणनी और IBC दनलँ के महतत्व को कम कर रहा है ।

▪ समाधान समझौते के लाभ:

- लागत कम करना:

- समाधान समझौता बकाए की शीघ्र वसूली की सुविधा प्रदान करता है और कानूनी खर्चों और अन्य संबंधित लागतों को कम करके बैंकों की लागत को बचाता है।
- अंतरनिति उद्देश्य कम समय-सीमा के भीतर अधिकतम संभव सीमा तक देय राशिकी वसूली करना है।
- तकनीकी राइट-ऑफ और NPA में कमी:
 - बैंकों ने पछिले एक दशक में गैर-नष्पादित परसिंपत्तियों (NPA) को कम करने के लिये राइट-ऑफ का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप NPA का स्तर कम दर्ज किया गया है।
 - राइट-ऑफ का उपयोग लेखांकन और कर उद्देश्यों के लिये किया गया था लेकिन चिंताएँ मौजूद हैं कि इस अभ्यास ने बैंकों और कॉरपोरेट्स को अपनी ऋण बुक को "एवरग्रीन" बनाए रखने की अनुमति दी है।
- समाधान समझौते का उद्देश्य अनपेक्षित बाज़ार जोखिमों के परिणामस्वरूप गैर-नष्पादित परसिंपत्तियों (NPA) का सामना करने वाली आर्थिक रूप से बोलिबल कंपनियों को महत्त्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान करना है।

गैर-नष्पादित परसिंपत्तियाँ:

परिचय:

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट रूप से हैं या मूलधन या ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं।
 - ज्यादातर मामलों में ऋण को गैर-नष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब 90 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिये ऋण भुगतान नहीं किया जाता है।
 - कृषिकी यदाद्वि-फसली मौसमों के लिये मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- सकल NPA:
 - सकल NPA उन सभी ऋणों का योग है जो व्यक्तियों द्वारा चूक किये गए हैं
- कुल NPA:
 - कुल NPA वह राशि है जो प्रावधान राशिको सकल गैर-नष्पादित परसिंपत्तियों से घटाए जाने के बाद प्राप्त होती है।
- NPA से संबंधित कानून और प्रावधान:
 - बैंड बैंक:
 - भारत में बैंड बैंक को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (NARC) कहा जाता है।
 - यह NARC एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर काम करेगी।
 - यह बैंकों से खराब ऋण खरीदेगा, जिससे उन्हें NPA से राहत मिलेगी। इसके बाद NARC संकटग्रस्त ऋण खरीदारों को दबावग्रस्त ऋण बेचने का प्रयास करेगा।
 - सरकार ने पहले ही इन तनावग्रस्त संपत्तियों को बाज़ार में बेचने के लिये इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) की स्थापना की है। तदनुसार, IDRCL उन्हें बाज़ार में बेचने का प्रयास करेगी।
 - वित्तीय संपत्तियों का प्रतभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हति का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002:
 - सरफेसी अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशिकी वसूली के लिये संपार्ष्वक संपत्ति पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की अनुमति देता है।
 - यह सुरक्षा हतियों के प्रवर्तन के लिये प्रावधान प्रदान करता है तथा बैंकों को डिफॉल्ट उधारकर्त्ताओं को डमिंड नोटिस जारी करने की अनुमति देता है।
 - दवाला और दवालियापन संहिता (IBC), 2016:
 - IBC भारत में दवालियापन और दवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिये एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।
 - इसका उद्देश्य तनावग्रस्त संपत्तियों (स्ट्रेस एसेट) के समयबद्ध समाधान को सुगम बनाना और लेनदारों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।
 - IBC के तहत एक देनदार या लेनदार एक डिफॉल्ट उधारकर्त्ता के विरुद्ध दवाला कार्यवाही शुरू कर सकता है।
 - प्रक्रिया की देख-रेख के लिये यह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और भारतीय दवाला और शोधन अकषमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना करता है।
 - बैंकों और वित्तीय संस्थान (RDDBFI) अधिनियम, 1993 के कारण ऋण की वसूली:
 - RDDBFI अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली के लिये शीघ्र अधिनिरिणय तथा वसूली हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) की स्थापना करता है।
 - DRT के पास एक नरिदषिट सीमा से अधिक बकाया ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों को सुनने और नरिणय लेने की शक्ति है।
 - भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872:
 - भारतीय अनुबंध अधिनियम उधारदाताओं और उधारकर्त्ताओं के बीच संवदिात्मक संबंध को नरिंत्तरति करता है।
 - यह ऋण समझौतों, नयिमों एवं शर्तों, डिफॉल्ट तथा भुगतान न करने की स्थिति में उधारदाताओं के लिये उपलब्ध उपायों हेतु कानूनी ढाँचा स्थापति करता है।

आगे की राह

वसूली की कार्यवाही और सहमति डिकिरी:

- समाधान समझौते पर बातचीत करते समय बैंकों को न्यायिक मंचों के तहत चल रही वसूली कार्यवाही पर वचिार करना चाहिये।
- नपिटान से संबंधित न्यायिक अधिकारियों से सहमति डिकिरी प्राप्त करने के अधीन होना चाहिये।

- **NPA वसूली का महत्त्व:**
 - जमाकर्त्ताओं और हतिधारकों के हितों की रक्षा के लिये NPA की वसूली महत्त्वपूर्ण है।
 - समझौता नपिटान को न्यूनतम व्यय के साथ तथा कम समय सीमा के अंदर देय राशि की अधिकतम वसूली को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **जनहति पर वचिार:**
 - समाधान समझौते के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था होने के नाते बैंकों को उधारकर्त्ताओं के हितों पर कर-भुगतान करने वाली जनता के हितों पर भी वचिार करना चाहिये।

वलिफुल डफिऑल्टर:

- जब उधारकर्त्ता (व्यक्ति या कंपनी) भुगतान दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के बावजूद भुगतान करने के अपने दायित्व से चूक जाता है या जान-बूझकर ऋण न चुकाने का इरादा रखता है।
- जब पूंजी का उपयोग उस वशिषिट उद्देश्य के लिये नहीं किया जाता है जिसके लिये वत्ति प्राप्त किया गया था लेकिन ऋण लेने वाले द्वारा ऋण समझौते में परभाषति उद्देश्य के अतरिकित कसिी अनूय उद्देश्य के लिये प्राप्त पूंजी का उपयोग किया जाता है।
- जब इस प्रकार के संदेह की स्थति हो, जिसमें उधार लेने वाले ने धन की हेरा-फेरी की हो और उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिये नहीं किया गया है जिसके लिये उधार लिया गया था। इसके अतरिकित उसके पास ऐसी कोई संपत्ति उपलब्ध नहीं हो जो उसके द्वारा फंड के इस तरह के उपयोग को उचति ठहराती हो।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिमिस:

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. पछिले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतरवेशन में लगातार वृद्धि हुई है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थति करने के लिये मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का वलिय किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सरकार ने क्रेडिट वसितार का समर्थन करने और गैर-नषिपादति परसिंपत्तयिों (NPA) के लिये कयि जाने वाले प्रावधानों से होने वाले नुकसान से नपिटने में मदद हेतु राज्य के स्वामत्तित्व वाले बैंकों में पूंजी अंतरवेशन का कार्य कयिा है।
- परंतु सरकारी बैंकों में पूंजी अंतरवेशन का चलन कसिी एक दशिा में वशिषिट नहीं रहा है, यह बढ़ता-घटता रहा है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- फरवरी 2017 में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडया के साथ भारतीय महिला बैंक और पाँच सहयोगी बैंकों के वलिय को मंजूरी दी थी। वलिय का उद्देश्य सार्वजनिक बैंक संसाधनों का युक्तकिरण, लागत में कमी, बेहतर लाभपरदता और जनता के लिये ब्याज की बेहतर दर के लिये धन की कम लागत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उत्पादकता एवं ग्राहक सेवा में सुधार करना था। संसद ने सार्वजनिक बैंक के युक्तकिरण को प्रभावति करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के साथ छह सहायक बैंकों का वलिय करने हेतु स्टेट बैंक (नरिसन और संशोधन) वधियक, 2017 पारति कयिा।

अतः कथन 2 सही है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस